IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

छतरपुर जिले के ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की भूमिका

डॉ. गीता द्रव
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला एवं शोधकेन्द्र
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

देवकी अहिरवार
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला एवं शोधकेन्द्र
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश

लोकतन्त्र को समाज के निचले तबके तक पहुँचाने के लिए किये गये प्रयासों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी पारित विधान पंचायती राज अधिनियम 1992′ (73वाँ संविधान संशोधन) एक आधारभूत कदम है। अनुच्छेद 40 के तहत् किये गये प्रावधान के अनुरूप पंचायती राज को लागू करने से पहले इसके सफल संचालन हेतु समय–समय पर अनेक अध्ययन दल गठित किये जाते रहे हैं। इस समय देश में 34 लाख से अधिक पंचायती राज व्यवस्था के तहत् चुने गये सदस्य और अध्यक्ष पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय हैं। इनमे 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधि तथा अन्य विभिन्न वर्गों की करीब 34 प्रतिशत पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंचायतीराज की स्थापना का उद्देश्य न केवल स्थानीय स्तर पर विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनता का निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना है, बल्कि सत्ता एवं शक्ति के सामान्य जन तक हस्तान्तरण के माध्यम से कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य संवर्ग की महिलाएं सम्मिलित है, जो सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर शोषण मुक्त समान अवसर वाले समाज की स्थापना करना भी है।

मुख्य शब्द :– छतरपुर, ग्रामीण, विकास, पंचायत, कल्याणकारी, क्रियान्वयन जिला पंचायत की भूमिका।

DOI: 10.48175/IJARSCT-29185